

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1036/2018-12/21-22 50.50 / राँची, दिनांक 01-09-2021

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- तेनुघाट बाँध प्रमण्डल अंतर्गत तेनुघाट बाँध के सुरक्षाकर्मियों को वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की अवधि के पारिश्रमिक भुगतान हेतु रु० 39.08 लाख (रुपये उन्नचाहिस लाख आठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. तेनुघाट बाँध प्रमण्डल अंतर्गत तेनुघाट बाँध के सुरक्षाकर्मियों को वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की अवधि के पारिश्रमिक भुगतान हेतु रु० 39.08 लाख (रुपये उन्नचाहिस लाख आठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसका अव्यवहार विवरणी निम्नवत् है:-

S. No	Period	Description	No of Guard/ Supervisor	Rate per Month (In Rs.)	No of Month	Amount (In Rs.)
1	March 2021	Guard	12	8787.56	1	105450.72
		Supervisor	1	11353.42	1	11353.42
2	Arrear due to min wage revision Form 01/10/2020 to 31/03/2021	Guard	22	137.68	6	18173.76
		Supervisor	1	175.19	6	1051.14
3	April 2021 to September 2021	Guard	22	9251.05	6	1221138.60
		Supervisor	1	11949.46	6	71696.76
4	October 2021 to March 2022	Guard	22	9646.07	6	1273281.24
		Supervisor	1	12389.20	6	74335.20
			Total		2776480.84	
			ESIC @ 4.75%		131882.84	
			EPF @ 13.36%		370937.84	
			Total		3279301.52	
			Supervision Charge @ 1%		32793.02	
			Total		3312094.54	
			GST @ 18%		596177.02	
			Total		3908271.55	
			Say		3908272.00	

3. यह कार्य वर्ष 2021-22 में पूर्ण कर लिया जायेगा।

4. इस कार्य पर होने वाला व्यय :-

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (विपत्र कोड 49S-4701-80-789-46-00-05-45) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

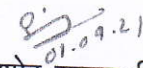
5. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट होंगे तथा अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट बाँध अंचल, तेनुघाट एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
6. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
7. इस कार्य के लिए वर्ष 2021-2022 के बजट शीर्ष 4701-80-789-46-00-05-45 में रु० 200.00 लाख का उपबंध है।
8. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य वित्त विभागीय परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार द्वारा की जायगी।
9. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
11. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०-हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(प्रशांत कुमार)
सचिव

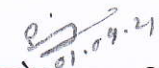
पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1036/2018- 12/21-22 प्र० ख० /राँची, दिनांक 01-09-21

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1036/2018- 12/21-22 प्र० ख० /राँची, दिनांक 01-09-21

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, तेनुघाट, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1036/2018- 12/21-22 50 वी० /राँची, दिनांक 01-09-21

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1036/2018- 12/21-22 50 वी० /राँची, दिनांक 01-09-21

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव